193

संख्या 93 /V–2012–08(एन0एल0)/2012

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

आवास अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 18 मई, 2012

विषयः डा0 भीमराव अम्बेडकर बहुउददेशीय भवन निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग को नजूल भूमि निःशुल्क आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–776/25–नजूल–भू0आ0प्र0/2011 दिनांक 09 फरवरी 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, डा0 भीमराव अम्बेडकर बहुउददेशीय भवन निर्माण, रूद्रपुर हेतु जनपद ऊधमसिंहनगर के राजस्व ग्राम रूद्रपुर के खसरा न0 147 मि0 4202.50 व0मी0 नजूल भूमि को नजूल नीति 2009 के प्रस्तर 4(ख)(1) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दि0 15–02–2002 के क्रम में निदेशक, समाज कल्याण विभाग, देहरादून को उनके अनुरोध के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान करते है–

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिये भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो ओर उसके लिये शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाये तो उसके लिये आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन से पुनः सहमति प्राप्त करनी होगी।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है तो यह आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5— जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6— जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरांत यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो इसकी सूचना आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उसे वापस लेने की अधिकार होगा।

7— प्रश्नगत भूमि वन से आच्छादित होने अथवा वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या 930(1) /V—2012—08(एन0एल0)/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 शैलेश कुमार पंत)
अनुसचिव।